

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

148-2025/Ext.]

CHANDIGARH, SATURDAY, AUGUST 23, 2025 (BHADRA 1, 1947 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 23rd August, 2025

No. 24-HLA of 2025/58/16250.— The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Amendment Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 24- HLA of 2025

THE HARYANA MANAGEMENT OF CIVIC AMENITIES AND INFRASTRUCTURE DEFICIENT MUNICIPAL AREAS (SPECIAL PROVISIONS) AMENDMENT BILL, 2025

A

BILL

further to amend the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

- **1.** This Act may be called the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Amendment Act, 2025.
- 2. In section 2 of the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016 (hereinafter called the principal Act),-
 - (i) after clause (b), the following clauses shall be inserted, namely:-
 - '(ba) "development agency" means such agency as the Government may, by notification in the Official Gazette, notify;
 - (bb) "Director" means the Director, Urban Local Bodies Department;
 - (bc) "entrepreneur" shall have the same meaning as assigned to it in the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016 (6 of 2016);
 - (bd) "enterprise" shall have the same meaning as assigned to it in the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016 (6 of 2016);';

Short title.

Amendment of section 2 of Haryana Act 14 of 2016.

- (ii) in clause (g), for the sign ".", existing at the end, the sign ";" shall be substituted;
- (iii) after clause (g), the following clauses shall be added, namely:-
 - "(h) "unauthorized development" means an area that has been developed in contravention of the provisions of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Haryana New Capital (Periphery) Control Act, 1952 (Punjab Act 1 of 1953) or any other law for the time being in force;
 - (i) "unauthorized plot" means the area which has been sub-divided in contravention of the provisions of section 7 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975).'

Insertion of section 5A in Haryana Act 14 of 2016. **3.** After section 5 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:

"5A. Regularisation of unauthorized industrial establishment.-In case of regularisation of unauthorized industrial establishment, an online portal for receiving applications from entrepreneur/enterprise shall be created and all punitive action initiated against the applicant(s) shall be deemed to have been suspended from the date of submission of the application on the portal until the Government takes a final decision, except in cases forwarded to or pending before any court of law.

Explanation.- For the purposes of this section "unauthorized industrial establishment" means an establishment of industrial unit established without having requisite permission for setting up of such unit from competent authority under applicable Acts and the rules framed thereunder.".

Insertion of sections 6A and 6B in Haryana Act 14 of 2016.

4. After section 6 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:-

"6A. Public street.- The roads and streets falling in and shown in the layout plan of the declared area shall vest with the municipality as public street.

6B. Control by Government.- The Director shall carry out such directions, as may be issued to him from time to time, by the Government for the efficient administration of this Act.".

Amendment of section 9 of Haryana Act 14 of 2016. **5.** Clause (e) of section 9 of the principal Act shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Amendments in the Haryana Management of Civic amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provision) Act, 2016.

The Haryana Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provision) Act, 2016 has been notified by the Government with the purpose to declare civic amenities and infrastructure deficient areas within municipal limit under the Act, so that necessary amenities and infrastructure can be provided in the declared area.

Presently, only the residential areas are being considered to be declared under the Act and commercial and industrial areas are not being considered. Hence, to boost industrial infrastructure and encourage industrial growth in the State, it has been decided that industrial areas which presently are in violations of provisions of various Acts, may also be considered to be declared as civic amenities infrastructure deficient areas under the Act, so that necessary civic amenities and infrastructure may be given in the declared industrial areas.

Accordingly, it is required to amend relevant sections in the Haryana Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provision) Act, 2016.

	VIPUL GOEL, Minister, Urban Local Bodies, Hary	/ana
Chandigarh: The 23rd August, 2025.	RAJIV PRASHAD, Secretary.	

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या 24 एच.एल.ए.

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख—सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2025 हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख—सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2016 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख—सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

2016 के हरियाणा अधिनियम 14 की धारा 2 का संशोधन।

- 2. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख—सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2016 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—
 - (i) खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:--
 - '(खक) "विकास अभिकरण" से अभिप्राय है, ऐसा अभिकरण, जो सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित किया जाए;
 - (खख) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग;
 - (खग) "उद्यमी" का वही अर्थ होगा, जो हरियाणा उद्यम प्रोन्नत अधिनियम, 2016 (2016 का 6) में इसे दिया गया है;
 - (खघ) "उद्यम" का वही अर्थ होगा, जो हरियाणा उद्यम प्रोन्नत अधिनियम, 2016 (2016 का 6) में इसे दिया गया है:
 - (ii) खण्ड (छ) में, अन्त में विद्यमान चिह्न "।" के स्थान पर, ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (iii) खण्ड (छ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:--
 - '(ज) "अप्राधिकृत विकास" से अभिप्राय है, ऐसा क्षेत्र, जो हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8), हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों के उल्लंघन में विकसित किया गया है:
 - (झ) "अप्राधिकृत भू—खण्ड" से अभिप्राय है, ऐसा क्षेत्र, जो हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 7 के उपबंधों की उल्लंघना में उप—विभाजित किया गया है।'।

2016 के हरियाणा अधिनियम 14 में धारा 5क का रखा जाना। 3. मूल अधिनियम की धारा 5 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"5क. अप्राधिकृत औद्योगिक स्थापना का नियमितीकरण.— अप्राधिकृत औद्योगिक स्थापना के नियमितीकरण के मामले में, उद्यमी / उद्यम से आवेदन प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा और आवेदक (आवेदकों) के विरुद्ध संस्थित की गई सभी दांडिक कार्रवाई, किसी विधि न्यायालय में अग्रेषित या लिम्बत मामलों को छोड़कर, पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से लेकर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने तक निलंबित समझी जाएंगी।

व्याख्या.— इस धारा के प्रयोजनों हेतु "अप्राधिकृत औद्योगिक स्थापना" से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक स्थापना की इकाई, जो लागू अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी से ऐसी इकाई को स्थापित करने हेतु अपेक्षित अनुमित प्राप्त किए बिना ही स्थापित की गई हो।"।

4. मूल अधिनियम की धारा 6 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:--

"6क. सार्वजनिक सड़क.— घोषित क्षेत्र में आने वाली और उसकी अभिन्यास योजना में दर्शाई गई सड़कें और गलियां, नगरपालिका में, सार्वजनिक सड़क के रूप में निहित होंगी।

2016 के हरियाणा अधिनियम 14 में धारा 6क और 6ख का रखा जाना।

6ख. सरकार द्वारा नियंत्रण.— निदेशक, ऐसे निर्देशों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए सरकार द्वारा, समय—समय पर, जारी किए जाएं।"।

5. मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (ङ) का लोप कर दिया जाएगा।

2016 के हरियाणा अधिनियम 14 की धारा 9 का संशोधन।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा नागरिक सुविधाओं एवं अवसंरचना की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्रों का प्रबंधन (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2016 में संशोधन।

हरियाणा नागरिक सुविधाओं एवं अवसंरचना की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्र (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2016 को सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका सीमा के भीतर नागरिक सुविधाओं एवं अवसंरचना की कमी वाले क्षेत्रों को घोषित करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है, ताकि घोषित क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएँ एवं अवसंरचना प्रदान की जा सकें।

वर्तमान में, अधिनियम के अंतर्गत केवल आवासीय क्षेत्रों को ही घोषित किया जा रहा है, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों पर विचार नहीं किया जा रहा है। अतः, राज्य में औद्योगिक अवसंरचना को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जो वर्तमान में विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघना में हैं, उन्हें भी अधिनियम के अंतर्गत नागरिक सुविधाओं एवं अवसंरचना की कमी वाले क्षेत्र घोषित करने पर विचार किया जा सकता है, ताकि घोषित औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक नागरिक सुविधाएँ, और अवसंरचना प्रदान किए जा सकें।

तदनुसार, हरियाणा नागरिक सुख—सुविधाएं एवं अवसंरचना अपर्याप्त नगरपालिका क्षेत्र (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2016 की प्रासंगिक धाराओं में संशोधन करना आवश्यक है।

> विपुल गोयल, मंत्री, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा। ——————

चण्डीगढ़ः दिनांक 23 अगस्त, 2025. राजीव प्रसाद, सचिव।

12060—H.V.S.—H.G.P., Pkl.